कृष्णकुमार आदि बनाम सुमन आदि
प्रकरण संख्या 09/2025 अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट(रास्ता स्वीकृति)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
| --- | --- | --- |
| 25/2/2025 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थी की आपसी सहमति व तहसीलदार के जबाब आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 21 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 219/407(4) कि.नं. 15 कर 0.253 है. में से दक्षिणी सींव पर 16.5 फुट चौड़ाई व 165 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बाई में यानि 0.025 है. व कि.नं. 14/1 की 0.065 है. भूमि में से दक्षिणी तरफ 16.5 फुट चौड़ा व 42 फुट लम्बाई में यानि 0.0064 है. कुल 0.0314 है. भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थी सं. 1 की कि.नं. 14/4 की 0.173 है. भूमि में से कि.नं. 7 के चिपते हुए 0.0314 है. भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के तथा अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि प.नं. 219/407(4) कि.नं. 2/1 की 0.125 है. में से 0.0078 है. भूमि कि.नं. 2/2 के चिपते हुए व कि.नं. 9/2 की 0.125 है. में से 0.0079 है. भूमि कि.नं. 9/1 के चिपते हुए प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी<br>रावतसर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.03 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested